रकबा 1-18 बीघा है यह भूमि प्रथम पक्ष प्रार्थीगण
के खाते है तथा इसी आराजी के रास्ते के पास
की जमीन पर द्वितिय पक्ष विपक्षीगण का कब्जा
है आपस मे लम्बे समय से विवाद चलने
से पुलिस व राजस्व टीम तथा गांव के
मौतबिरान से समझौता अनुसार उक्त
विवादित आराजी आधी-आधी दोनो पक्षो
के कर दी है जिसमे पूर्व हिस्सा वालागण
प्रथम पक्ष प्रार्थीगण व द्वितियपक्ष विपक्षीगण
के पश्चिम वाला हिस्सा रहेगा। उक्त आराजी
प्रथम पक्ष के नाम पर होने से प्रथम पक्ष
प्रार्थीगण आधी जमीन विपक्षीगण द्वितिय
पक्ष के नाम पर रजिस्ट्री करवायेगा। न्यायालय
मे जो भी वाद चल रहे है दोनो पक्ष अपने-2
उठा लेंगे। खर्चा अपना-अपना वाद का वहन
करेंगे। प्रथम पक्ष प्रार्थीगण की उक्त जमीन मे
घास वगैरह जो भी सामान पड़ा है द्वितियपक्ष
का वह सामान घास वगैरह द्वितियपक्ष
विपक्षीगण हटाने पर प्रथम पक्ष प्रार्थीगण
द्वारा द्वितिय पक्ष विपक्षीगण के नाम पर
आधी जमीन की रजिस्ट्री करवा देंगे। रजिस्ट्री
खर्च द्वितिय पक्ष विपक्षीगण वहन करेंगे।
पटवारी हल्का [illegible] मौके पर नाप कर
भूमि का सीमाज्ञान करावें ~~[illegible]~~ उक्त
नाप दोनो पक्ष तैयार रहे। दोनो पक्षो
द्वारा चाहने पर पटवारी हल्का अपेक्षित
सहयोग प्रदान करे। पत्रावली फैसल शुमार
हो कर नत्थी रिकार्ड हो। निर्णय खुले
न्यायालय मे सुनाया गया।

All C.A.

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जिला राजसमन्द